

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 152

दायर दिनांक : 04.07.2017

पृथ्वीराज पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) -वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सोहनलाल पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ (फौत)
 - 2/1. मीरादेवी पत्नी स्व. सोहनलाल जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 - 2/2. चन्द्रकला पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
 - 2/3. कौशल्या पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी आदराम जाति जाट निवासी सिधुवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 - 2/4. निर्मला पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 - 2/5. सुमन पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
 - 2/6. रचना पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
 - 2/7. पूनम पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी रायावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
 - 2/8. आत्माराम पुत्र स्व. सोहनलाल जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. भादरराम उर्फ बहादरराम पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. रूघाराम पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे (ए.डी.बी.) शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
8. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर

-प्रतिवादीगण

क्रमशः पेज 2 पर



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादी
2. श्री प्रदीप कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 2/1 से 2/8
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़


निर्णय

दिनांक : 26.11.2019




पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 आपस में सगे भाई हैं जिनमें से प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/8 जायज वारिसान हैं। खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम से, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० अ.क. बा. मय रास्ता भूमि प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल के नाम से, चक 13 एस.टी.बी. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 72/65 में अंकित कुल 0.809 है० बारानी भूमि प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल के नाम से, इसी चक 13 एस.टी.बी. 'ए' की खाता सं. 29/30 में अंकित 2.581 है० नहरी मय खाला मय रास्ता भूमि वादी पृथ्वीराज के नाम से, इसी चक 13 एस.टी.बी. 'ए' की खाता सं. 39/32 में अंकित कुल 2.530 है० नहरी मय रास्ता भूमि प्रतिवादी सं. 3 भादरराम के नाम से, चक 14 एस.टी.बी. 'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० नहरी-बारानी मय खाला भूमि प्रतिवादीगण सं. 1, 3, व 4 भागीरथ, भादरराम, रूघाराम पि. कुम्भाराम के नाम से ब.हि.ब., चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है० नहरी मय खाला भूमि प्रतिवादी सं. 4 रूघाराम के नाम से, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 77/1764 में अंकित कुल 0.721 है० नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल के नाम से, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 51/12 में अंकित कुल 0.759 है० नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 के नाम से

क्रमशः पेज 3 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

3/4 हिस्सा व वादी पृथ्वीराज के नाम से 1/4 हिस्सा, इसी चक 15 एस.टी. बी. की खाता सं. 13/1764 में 2.399 है० नहरी-अनकमाण्ड भूमि वादी पृथ्वीराज के नाम से व 2.361 है० नहरी-अनकमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल व वादी पृथ्वीराज के नाम से ब.हि.ब., चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में अंकित कुल 3.227 है० कमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 4 रुघाराम के नाम, जिसमें से 0.506 है० बेचान की चुकी है, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता 11/1764 में अंकित कुल 2.429 है० नहरी भूमि में से 0.885 है० ओमप्रकाश वल्द मनफूल के नाम, 0.330 है० रामचन्द वल्द मेवाराम के नाम, 1.188 है० प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम, 0.025 है० दूलाराम वल्द रामचन्द के नाम, व इसी चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित कुल 3.896 है० अनकमाण्ड-नहरी भूमि में से 0.380 है० ओमप्रकाश वल्द मनफूल के नाम, 0.923 है० प्रतिवादी सं. 3 बहादुर, 0.645 है० प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम, 1.948 है० प्रतिवादी सं. 2 सोहनलाल व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम ब.हि.ब. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 अपने पिता के जीवनकाल से ही मिलकर संयुक्त रूप से काशत व निवास करते आ रहे हैं एवं उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से ही परिवार सदस्यों के नाम से खरीद की हुई व आवंटन करवाई हुई है। प्रतिवादी सं. 2 के स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिस प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 वादी व प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 के साथ मिलकर उक्त भूमि काशत करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित सम्पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार सभी के हिस्सा में वाद में वर्णित निम्नानुसार अलग-अलग भूमि कब्जा काशत में है :- वादी पृथ्वीराज के पास - चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.303 है० भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.304 है०, चक 13 एस.टी.बी. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 72/65 में

क्रमशः पेज 4 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़





अंकित कुल 0.809 है० बारानी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. 'ए' की खाता सं. 29/30 में अंकित 2.581 है० (0.101 है० गै.मु.रास्ता, 2.430 है० नहरी, व 0.050 है० खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 36/323 (2) के किला नं. 16/0.013 है०, 17/0.101 है०, 18/0.139 है०, 19/0.190 है०, 20/0.240 है०, 25/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० रास्ता) = 0.936 है० (0.911 है० नहरी 0.025 है० गै.मु.रास्ता) भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है० (1.849 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 1 = 0.025 है० नहरी, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 51/12 में अंकित पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 18 ता 20 = 0.759 है० नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में इन्तकाल सं. 376/05.01.2013 व 428/05.02.2014 द्वारा अंकित 2.399 है० + 2.361 है० = 4.760 है० अनकमाण्ड व नहरी विशिष्ट खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 1-2/0.506 है०अ०क०, 3/0.013 है०अ०क०, 4/0.214 है०अ०क०, 5/0.253 है०अ०क०, 7/0.103 है०अ०क०, 8/0.253 है०अ०क०, 9/0.240 है०अ०क०, 10/0.240 है०अ०क०, 11/0.013 है० नहरी, 12-13/0.506 है० नहरी, 14/0.102 है० नहरी, 17/0.102 है० नहरी, 21/0.246 है० नहरी, 22/0.146 है० नहरी = 2.937 है० (1.822 है० अनकमाण्ड व 1.115 है० नहरी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार कुल 6.073 है०, प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के पास - चक 14 एस.टी.बी. 'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० (2.252 है० बारानी, 0.075 है० खाला व 1.468 है० नहरी) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 11/0.228 है० नहरी, 12/0.025 है० नहरी, 19/0.164 है० बारानी, 20/0.215 है० बारानी = 0.632 है० (0.379 है० बारानी व 0.253 है० नहरी) भूमि, चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में अंकित कुल 3.227 है० कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 183/381 (8) के किला नं. 15-16 = 0.506 है० कमाण्ड भूमि, जो बेचान की हुई है, के पश्चात्

क्रमशः पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

शेष रही खाता की 2.721 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि यानि पत्थर नं. 183/381 (8) के किला नं. 21/2 में 0.228 है०, 22/2 में 0.228 है०, 23/2 में 0.228 है०, 24/2 में 0.228 है०, 25/0.228 है० = 1.140 है० व पत्थर नं. 184/382 (12) के किला नं. 5-6/0.506 है०, 15-16/0.506 है०, 17/2 में 0.063 है०, 24-25/0.506 है० = 1.581 है०, कुल 2.721 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता 11/1764 में अंकित पत्थर नं. 35/323 (61) के किला नं. 6 ता 10/1.265 है०, 11/0.139 है०, 12/0.190 है०, 13/0.228 है०, 14-15/0.506 है०, 16/0.076 है०, 17/0.025 है० = 2.429 है० नहरी खातेदारी कृषि भूमि में स्वयं प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम अंकित 1.188 है० नहरी खातेदारी भूमि, व इसी चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित कुल 3.896 है० अनकमाण्ड-नहरी भूमि में से 0.873 है० भूमि, इस प्रकार कुल 5.414 है० खातेदारी कृषि भूमि, प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 मीरादेवी वगैरह के पास - चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.228 है०, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.228 है०, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है० (1.849 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 1/0.215 है० (0.190 है० नहरी 0.025 है० खाला), 2/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 3/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 4/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 5/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 6/0.152 है० नहरी = 1.379 है० (1.254 है० नहरी व 0.125 है० खाला) व पत्थर नं. 36/323 (60) के किला नं. 1/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 2/0.025 है० नहरी, 10/0.190 है० नहरी, 13/0.038 है० नहरी, 14/0.089 है० नहरी = 0.595 है० (0.570 है० नहरी व 0.025 है० खाला), कुल 1.974 है० (1.824 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता

क्रमशः पेज 6 पर



Dw'
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



सं. 77/1764 में अंकित पत्थर नं. 38/323 (58) के किला नं. 1/0.013 है0, 2/0.038 है0, 3/0.089 है0, 4/0.126 है0, 5/0.177 है0 = 0.443 है0, व पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 7/0.126 है0, 8/0.101 है0, 9/0.038 है0, 10/0.013 है0 = 0.278 है0, कुल 0.721 है0 नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में इन्तकाल सं. 376/05.01.2013 व 428/05.02.2014 द्वारा अंकित 2.399 है0 + 2.361 है0 = 4.760 है0 अनकमाण्ड व नहरी विशिष्ट खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 6/0.253 है0अ0क0, 7/0.150 है0अ0क0, 14/0.151 है0 नहरी, 15-16/0.506 है0 नहरी, 17/0.151 है0 नहरी, 23/0.106 है0 नहरी, 24-25/0.506 है0 नहरी = 1.823 है0 (0.403 है0 अनकमाण्ड व 1.420 है0 नहरी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार कुल 4.974 है0 खातेदारी कृषि भूमि। प्रतिवादी सं. 3 भादरराम उर्फ बहादरराम के पास - चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है0 अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.417 है0, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है0 अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.418 है0, चक 13 एस.टी.बी.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 29/30 में अंकित 2.581 है0 (0.101 है0 गै.मु.रास्ता, 2.430 है0 नहरी, व 0.050 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 37/327 (27) के किला नं. 3/2 में 0.126 है0 नहरी, 4/0.253 है0 (0.215 है0 नहरी व 0.038 है0 गै.मु. रास्ता), 5/0.253 है0 (0.190 है0 नहरी, 0.025 है0 खाला व 0.038 है0 गै.मु. रास्ता), 6/1 में 0.127 है0 (0.102 है0 नहरी व 0.025 है0 खाला), 7/0.253 है0 नहरी, 14/0.253 है0 नहरी, 17/0.253 है0 नहरी, 24/1 में 0.127 है0 नहरी = 1.645 है0 (0.076 है0 गै.मु.रास्ता, 1.519 है0 नहरी व 0.050 है0 खाला) खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी.'ए' की खाता सं. 39/32 में अंकित पत्थर नं. 37/327 (27) के किला नं. 2/0.253 है0 (0.215 है0 नहरी व 0.038 है0 गै.मु.रास्ता), 3/1 में 0.127 है0 (0.089 है0 नहरी व 0.038 है0 रास्ता), 8-9/0.506 है0, 12-13/0.506 है0, 18-19/0.506 है0, 22-23/0.506 है0, 24/2 में 0.126 है0 = 2.530 है0 (2.454 है0 नहरी व

क्रमशः पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



0.076 है० गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि, चक 14 एस.टी.बी.बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० (2.252 है० बारानी, 0.075 है० खाला व 1.468 है० नहरी) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 11/0.025 है० नहरी, 12/0.228 है० नहरी, 13-14/0.506 है० नहरी, 17-18/0.506 है० बारानी, 19/0.076 है० बारानी = 1.341 है० (0.759 है० नहरी व 0.582 है० बारानी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार कुल 6.351 है० खातेदारी कृषि भूमि। प्रतिवादी सं. 4 रूघाराम के पास - चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.633 है०, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि में से 0.632 है०, चक 14 एस.टी.बी.बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० (2.252 है० बारानी, 0.075 है० खाला व 1.468 है० नहरी) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 15/0.253 है० (0.228 है० नहरी व 0.025 है० खाला), 16/0.253 है० (0.228 है० नहरी व 0.025 है० खाला), 19/0.013 है० बारानी, 20/0.038 है० बारानी, 21 ता 24/1.012 है० बारानी, 25/0.253 है० (0.228 है० बारानी व 0.025 है० खाला) = 1.822 है० (0.456 है० नहरी, 0.075 है० खाला व 1.291 है० बारानी) भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित कुल 3.896 है० अनकमाण्ड-नहरी भूमि में से 2.643 है०, इस प्रकार कुल 5.730 है० खातेदारी कृषि भूमि। मौका पर कब्जा काशत को लेकर आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन भूमि रिकॉर्ड में एक-दूसरे के नाम चली आने के कारण वादी अपनी भूमि पर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है, इसलिए उपरोक्तानुसार मुताबिक घरू बंटवारा, जिसका विस्तृत विवरण वाद में अंकित है, इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये

क्रमशः पेज 8 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 व 2/1 से 2/8 की ओर से इकबाल दावा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 व 2/1 से 2/8 के मध्य राजीनामा हो जाने पर प्रार्थना-पत्र राजीनामा पेश किया, जो कि पक्षकारों की उपस्थिति में तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। बाद आने जवाब, चूंकि इकबाल दावा आ गया, इसलिए तनकीयात कायम न करते हुए तर्क पक्षकारान सुने गये।



विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि कुल भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के इकबालदावा अनुसार हिन्दू सहदायी खानदान की भूमि है जिसे सहदायी भूमि घोषित करवाने का अधिकार पक्षकारान को है। वर्तमान समय में यह भूमि विभिन्न खातों में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से अलग-अलग खातों में अलग-अलग नामों से व हिस्सों में वादी एवं प्रतिवादीगण इसे सहदायी भूमि घोषित करवाकर प्रत्येक का 1/5 हिस्सा का खातेदार अंकित करवाने के हकदार हैं, इस बिन्दु पर कतई विवाद नहीं है। कुल 28.542 है० भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम अलग-अलग खातों में अलग-अलग हिस्सों व नामों से दर्ज है। जबकि यह तमाम भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम सहदायी भूमि होने से प्रत्येक के नाम से 1/5 हिस्सा में दर्ज होनी चाहिए थी, इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 उक्त सम्पूर्ण भूमि को सहदायी खातेदारी घोषित करवाते हुए प्रत्येक 1/5-1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित होना चाहते हैं, जिसमें उन्हें कोई एतराज नहीं है। घोषणा की जा रही भूमि को पक्षकारान ने खातों में अंकित भूमि को हिस्सा अनुसार आपसी सहमति से अलग-अलग बांट लिया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु हो चुकी है, उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/8 घोषित 1/5 हिस्से में बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के पात्र हैं और आपसी बांट के अनुसार बांटी गई भूमि के खातेदार घोषित होने के पात्र हैं ताकि सहदायी होने से अलग हो सके। इसी अनुसार वाद को स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की। वादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि

क्रमशः पेज 9 पर

du'
उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़

वाद-पत्र में अंकित चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में अंकित कुल 3.227 है० कमाण्ड भूमि प्रतिवादी सं. 4 रूघाराम के नाम से है जिसमें से 0.506 है० भूमि उसके द्वारा पूर्व में बेचान की जा चुकी है, शेष 2.721 है० भूमि रूघाराम की शेष रही है, जो तहसील रायसिंहनगर की है। इस भूमि की इकजाई रूप से उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा घोषणा की जा सकती है जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 17 के अनुरूप है।



विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को इकबाल दावा अनुसार स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वाद स्वीकार कर दिया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए तथ्यों को देखते हुए उनकी स्वीकृति मानने का आग्रह किया।

विद्वान अभिभाषकगण पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक पठन व मनन किया। इस मामले में पक्षकारान कुल भूमि को सहदायी स्वीकार करते हैं और कुल 28.542 है० भूमि किसी खाते में वादी के नाम से व किसी खाते में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के नाम से अलग-अलग दर्ज है, जबकि पक्षकार इसे सहदायी भूमि मानकर स्वीकार करते हैं और प्रत्येक कुल भूमि में 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित होना चाहते हैं। उनकी स्वीकृति के आधार पर भूमि सहदायी मानी जा सकती है। ऐसा हिन्दू विधि में अनुमति प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम की अंकित भूमि परिवार की सहदायी सम्पत्ति में अंकित करवा सकता है। इसी सिद्धान्त का पालन करते हुए वाद वादी स्वीकृत किया जा सकता है। पक्षकारान ने बाद घोषणा परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा न हो, इसलिए कुल भूमि को आपसी रजामन्दी से अलग-अलग चकों में हिस्सा अनुसार विभाजित किया हुआ है और जिस पर उनका कब्जा है। न्याय दृष्टि से अंकित काश्तकारों को इसी अनुसार स्वीकृति के आधार पर घोषणा दी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम

क्रमशः पेज 10 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

से अंकित कुल 1.581 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से अंकित कुल 1.582 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि, चक 13 एस.टी.बी.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 72/65 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से अंकित कुल 0.809 है० बारानी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी.'ए' की खाता सं. 29/30 में वादी के नाम से अंकित 2.581 है० नहरी मय खाला मय रास्ता भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी.'ए' की खाता सं. 39/32 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से अंकित कुल 2.530 है० नहरी मय रास्ता भूमि, चक 14 एस.टी.बी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में प्रतिवादीगण सं. 1, 3, व 4 के नाम से ब.हि.ब. अंकित कुल 3.795 है० नहरी-बारानी मय खाला भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से अंकित कुल 1.999 है० नहरी मय खाला भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 77/1764 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से अंकित कुल 0.721 है० नहरी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 51/12 में प्रतिवादी सं. 3 व वादी के नाम से अंकित कुल 0.759 है० नहरी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में वादी के नाम से अंकित 2.399 है० नहरी-अनकमाण्ड भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 व वादी के नाम से अंकित ब.हि.ब. 2.361 है० नहरी-अनकमाण्ड भूमि, चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से अंकित कुल 3.227 है० कमाण्ड भूमि में से पूर्व में बेचान की जा चुकी 0.506 है० भूमि के अतिरिक्त शेष रही 2.721 है० कमाण्ड भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता 11/1764 में अंकित कुल 2.429 है० नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.188 है० भूमि, व इसी चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित कुल 3.896 है० अनकमाण्ड-नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 के नाम से अंकित 0.923 है० प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 0.645 है०, प्रतिवादीगण सं. 2 व 1 के नाम से ब.हि.ब. अंकित 1.948 है० भूमि, इस प्रकार कुल 28.542 है० भूमि को सहदायी भूमि मानते हुए उक्त भूमि में वादी, प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 प्रत्येक

क्रमशः पेज 11 पर



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(11) (152/2017 पृथ्वीराज बनाम भागीरथ व अन्य)

को 1/5-1/5 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 2 को 1/5 हिस्सा का खातेदार मानते हुए उसकी मृत्यु के कारण उसके स्थान पर प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/8 को 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है और घोषणा के फलस्वरूप वादी पृथ्वीराज पुत्र कुम्भाराम को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.303 है० भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० (1.482 है० अ.क.बा. व 0.100 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.304 है०, चक 13 एस.टी.बी. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 72/65 में अंकित कुल 0.809 है० बारानी खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. 'ए' की खाता सं. 29/30 में अंकित कुल 2.581 है० (0.101 है० गै.मु.रास्ता, 2.430 है० नहरी, व 0.050 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 36/323 (2) के किला नं. 16/0.013 है०, 17/0.101 है०, 18/0.139 है०, 19/0.190 है०, 20/0.240 है०, 25/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० रास्ता) = 0.936 है० (0.911 है० नहरी 0.025 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है० (1.849 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 1 = 0.025 है० नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 51/12 में अंकित पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 18 ता 20 = 0.759 है० नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में इन्तकाल सं. 376/05.01.2013 व 428/05.02.2014 द्वारा अंकित 2.399 है० + 2.361 है० = 4.760 है० अनकमाण्ड व नहरी विशिष्ट खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 1-2/0.506 है०अ०क०, 3/0.013 है०अ०क०, 4/0.214 है०अ०क०, 5/0.253 है०अ०क०, 7/0.103 है०अ०क०, 8/0.253 है०अ०क०, 9/0.240 है०अ०क०, 10/0.240 है०अ०क०, 11/0.013 है० नहरी, 12-13/0.506 है० नहरी, 14/0.102 है० नहरी, 17/0.102 है० नहरी, 21/0.246 है० नहरी, 22/0.146 है० नहरी = 2.937 है० (1.822 है० अनकमाण्ड व 1.115 है० नहरी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के सात

क्रमशः पेज 12 पर




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

खातों में कुल 6.073 है० खातेदारी कृषि भूमि, व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ पुत्र कुम्भाराम को चक 14 एस.टी.बी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० (2.252 है० बारानी, 0.075 है० खाला व 1.468 है० नहरी) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 11/0.228 है० नहरी, 12/0.025 है० नहरी, 19/0.164 है० बारानी, 20/0.215 है० बारानी = 0.632 है० (0.379 है० बारानी व 0.253 है० नहरी) खातेदारी भूमि, चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में अंकित कुल 3.227 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 183/381 (8) के किला नं. 21/2 में 0.228 है०, 22/2 में 0.228 है०, 23/2 में 0.228 है०, 24/2 में 0.228 है०, 25/0.228 है० = 1.140 है० व पत्थर नं. 184/382 (12) के किला नं. 5-6/0.506 है०, 15-16/0.506 है०, 17/2 में 0.063 है०, 24-25/0.506 है० = 1.581 है०, कुल 2.721 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता 11/1764 में अंकित पत्थर नं. 35/323 (61) के किला नं. 6 ता 10/1.265 है०, 11/0.139 है०, 12/0.190 है०, 13/0.228 है०, 14-15/0.506 है०, 16/0.076 है०, 17/0.025 है० = 2.429 है० नहरी खातेदारी भूमि में स्वयं प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम अंकित 1.188 है० नहरी खातेदारी भूमि, व इसी चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित पत्थर नं. 34/328 (62) के किला नं. 1 ता 13/3.289 है०, 14/0.215 है०, 15/0.114 है०, 18/2 में 0.051 है०, 19/0.126 है०, 20/0.101 है० = 3.896 है० (0.506 है० अनकमाण्ड व 3.390 है० नहरी) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ व प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 के मृतक पति/पिता सोहनलाल पि. कुम्भाराम के नाम से अंकित ब.हि.ब. 1.948 है०, प्रतिवादी सं. 3 बहादुर वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.923 है०, व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.645 है०, यानि प्रतिवादीगण के नाम की कुल 3.516 है० खातेदारी भूमि में से 0.873 है० खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के चार खातों में कुल 5.414 है० खातेदारी कृषि भूमि, एवं प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 मीरादेवी पत्नी सोहनलाल, चन्द्रकला, कौशलया, निर्मला, सुमन, रचना, पूनम, आत्माराम पिसरान


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



सोहनलाल को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.228 है० खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० (1.482 है० अ. क.बा. व 0.100 है० गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.228 है० खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है० (1.849 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 1/0.215 है० (0.190 है० नहरी 0.025 है० खाला), 2/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 3/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 4/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 5/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 6/0.152 है० नहरी = 1.379 है० (1.254 है० नहरी व 0.125 है० खाला) व पत्थर नं. 36/323 (60) के किला नं. 1/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 2/0.025 है० नहरी, 10/0.190 है० नहरी, 13/0.038 है० नहरी, 14/0.089 है० नहरी = 0.595 है० (0.570 है० नहरी व 0.025 है० खाला), कुल 1.974 है० (1.824 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 77/1764 में अंकित पत्थर नं. 38/323 (58) के किला नं. 1/0.013 है०, 2/0.038 है०, 3/0.089 है०, 4/0.126 है०, 5/0.177 है० = 0.443 है०, व पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 7/0.126 है०, 8/0.101 है०, 9/0.038 है०, 10/0.013 है० = 0.278 है०, कुल 0.721 है० नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में इन्तकाल सं. 376/05.01.2013 व 428/05.02.2014 द्वारा अंकित 2.399 है० + 2.361 है० = 4.760 है० अनकमाण्ड व नहरी विशिष्ट खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 6/0.253 है० अ०क०, 7/0.150 है० अ०क०, 14/0.151 है० नहरी, 15-16/0.506 है० नहरी, 17/0.151 है० नहरी, 23/0.106 है० नहरी, 24-25/0.506 है० नहरी = 1.823 है० (0.403 है० अनकमाण्ड व 1.420 है० नहरी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार दोनों चकों के पांच खातों में कुल 4.974 है० खातेदारी कृषि भूमि, और प्रतिवादी सं. 3 भादरराम उर्फ बहादरराम पुत्र कुम्भाराम को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः पेज 14 पर



सम्बत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.417 है० खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० (1.482 है० अ.क.बा. व 0.100 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.418 है० खातेदारी भूमि, चक 13 एस.टी.बी. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्बत् 2072 ता 75 की खाता सं. 29/30 में अंकित 2.581 है० (0.101 है० गै.मु.रास्ता, 2.430 है० नहरी, व 0.050 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/327 (27) के किला नं. 3/2 में 0.126 है० नहरी, 4/0.253 है० (0.215 है० नहरी व 0.038 है० गै.मु. रास्ता), 5/0.253 है० (0.190 है० नहरी, 0.025 है० खाला व 0.038 है० गै.मु. रास्ता), 6/1 में 0.127 है० (0.102 है० नहरी व 0.025 है० खाला), 7/0.253 है० नहरी, 14/0.253 है० नहरी, 17/0.253 है० नहरी, 24/1 में 0.127 है० नहरी = 1.645 है० (0.076 है० गै.मु.रास्ता, 1.519 है० नहरी व 0.050 है० खाला) खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. 'ए' की खाता सं. 39/32 में अंकित पत्थर नं. 37/327 (27) के किला नं. 2/0.253 है० (0.215 है० नहरी व 0.038 है० गै.मु.रास्ता), 3/1 में 0.127 है० (0.089 है० नहरी व 0.038 है० रास्ता), 8-9/0.506 है०, 12-13/0.506 है०, 18-19/0.506 है०, 22-23/0.506 है०, 24/2 में 0.126 है० = 2.530 है० (2.454 है० नहरी व 0.076 है० गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि, चक 14 एस.टी.बी. 'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्बत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० (2.252 है० बारानी, 0.075 है० खाला व 1.468 है० नहरी) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 11/0.025 है० नहरी, 12/0.228 है० नहरी, 13-14/0.506 है० नहरी, 17-18/0.506 है० बारानी, 19/0.076 है० बारानी = 1.341 है० (0.759 है० नहरी व 0.582 है० बारानी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के पांच खातों में कुल 6.351 है० खातेदारी कृषि भूमि, तथा प्रतिवादी सं. 4 रुघाराम पुत्र कुम्भाराम को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्बत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.633 है० खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित

क्रमशः पेज 15 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कुल 1.582 है० (1.482 है० अ.क.बा. व 0.100 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.632 है० खातेदारी भूमि, चक 14 एस.टी.बी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है० (2.252 है० बारानी, 0.075 है० खाला व 1.468 है० नहरी) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 15/0.253 है० (0.228 है० नहरी व 0.025 है० खाला), 16/0.253 है० (0.228 है० नहरी व 0.025 है० खाला), 19/0.013 है० बारानी, 20/0.038 है० बारानी, 21 ता 24/1.012 है० बारानी, 25/0.253 है० (0.228 है० बारानी व 0.025 है० खाला) = 1.822 है० (0.456 है० नहरी, 0.075 है० खाला व 1.291 है० बारानी) खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित पत्थर नं. 34/328 (62) के किला नं. 1 ता 13/3.289 है०, 14/0.215 है०, 15/0.114 है०, 18/2 में 0.051 है०, 19/0.126 है०, 20/0.101 है० = 3.896 है० (0.506 है० अनकमाण्ड व 3.390 है० नहरी) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ व प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 के मृतक पति/पिता सोहनलाल पि. कुम्भाराम के नाम से अंकित ब.हि.ब. 1.948 है०, प्रतिवादी सं. 3 बहादुर वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.923 है०, व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.645 है०, यानि प्रतिवादीगण के नाम की कुल 3.516 है० खातेदारी भूमि में से 2.643 है० खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के चार खातों में कुल 5.730 है० खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ एवं रायसिंहनगर को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में उपरोक्तानुसार खातेदारी कृषि भूमि पूर्व अंकित भूमि हेतु पूर्व अंकित काश्तकार के नाम से कलमजन कर घोषणा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से अलग-अलग अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो उसके नाम अंकित खाते पर रहन अंकित रहेगी। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २६.११.२०१९ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
उपरखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़
(श्रीगंगानगर)

डिक्री बमुकदम इब्तदाई

अज अदालत
बइजलास

– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :-

पृथ्वीराज पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सोहनलाल पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ (फौत)
 - 2/1. मीरादेवी पत्नी स्व. सोहनलाल जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 - 2/2. चन्द्रकला पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
 - 2/3. कौशल्या पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी आदराम जाति जाट निवासी सिधुवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 - 2/4. निर्मला पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
 - 2/5. सुमन पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
 - 2/6. रचना पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
 - 2/7. पूनम पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी रायावाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
 - 2/8. आत्माराम पुत्र स्व. सोहनलाल जाति जाट निवासी पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. भादरराम उर्फ बहादरराम पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. रूघाराम पुत्र स्व. कुम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे (ए.डी.बी.) शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
8. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 152 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राकेश कुमार मनचन्दा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 2/1 से 2/8 श्री प्रदीप कुमार मनचन्दा एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

क्रमशः पेज 2 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित कुल 1.581 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से अंकित कुल 1.582 है० अ.क.बा. मय रास्ता भूमि, चक 13 एस.टी.बी.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 72/65 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से अंकित कुल 0.809 है० बाराणी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी.'ए' की खाता सं. 29/30 में वादी के नाम से अंकित 2.581 है० नहरी मय खाला मय रास्ता भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी.'ए' की खाता सं. 39/32 में प्रतिवादी सं. 3 के नाम से अंकित कुल 2.530 है० नहरी मय रास्ता भूमि, चक 14 एस.टी.बी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में प्रतिवादी सं. 1, 3, व 4 के नाम से ब.हि.ब. अंकित कुल 3.795 है० नहरी-बाराणी मय खाला भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से अंकित कुल 1.999 है० नहरी मय खाला भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 77/1764 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से अंकित कुल 0.721 है० नहरी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 51/12 में प्रतिवादी सं. 3 व वादी के नाम से अंकित कुल 0.759 है० नहरी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में वादी के नाम से अंकित 2.399 है० नहरी-अनकमाण्ड भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 व वादी के नाम से अंकित ब.हि.ब. 2.361 है० नहरी-अनकमाण्ड भूमि, चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से अंकित कुल 3.227 है० कमाण्ड भूमि में से पूर्व में बेचान की जा चुकी 0.506 है० भूमि के अतिरिक्त शेष रही 2.721 है० कमाण्ड भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता 11/1764 में अंकित कुल 2.429 है० नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.188 है० भूमि, व इसी चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित कुल 3.896 है० अनकमाण्ड-नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 के नाम से अंकित 0.923 है०, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 0.645 है०, प्रतिवादी सं. 2 व 1 के नाम से ब.हि.ब. अंकित 1.948 है० भूमि, इस प्रकार कुल 28.542 है० भूमि को सहदायी भूमि मानते हुए उक्त भूमि में वादी, प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 2 को 1/5 हिस्सा का खातेदार मानते हुए उसकी मृत्यु के कारण उसके स्थान पर प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/8 को 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है और घोषणा के फलस्वरूप वादी पृथ्वीराज पुत्र कुम्भाराम को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.303 है० भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० (1.482 है० अ.क.बा. व 0.100 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.304 है०, चक 13 एस.टी.बी.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 72/65 में अंकित कुल 0.809 है० बाराणी खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी.'ए' की खाता सं. 29/30 में अंकित कुल 2.581 है० (0.101 है० गै.मु.रास्ता, 2.430 है० नहरी, व 0.050 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 36/323 (2) के किला नं. 16/0.013 है०,

क्रमशः पेज 3 पर




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



17/0.101 है0, 18/0.139 है0, 19/0.190 है0, 20/0.240 है0, 25/0.253 है0 (0.228 है0 नहरी 0.025 है0 रास्ता) = 0.936 है0 (0.911 है0 नहरी 0.025 है0 गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है0 (1.849 है0 नहरी व 0.150 है0 खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 1 = 0.025 है0 नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 51/12 में अंकित पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 18 ता 20 = 0.759 है0 नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में इन्तकाल सं. 376/05.01.2013 व 428/05.02.2014 द्वारा अंकित 2.399 है0 + 2.361 है0 = 4.760 है0 अनकमाण्ड व नहरी विशिष्ट खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 1-2/0.506 है0अ0क0, 3/0.013 है0अ0क0, 4/0.214 है0अ0क0, 5/0.253 है0अ0क0, 7/0.103 है0अ0क0, 8/0.253 है0अ0क0, 9/0.240 है0अ0क0, 10/0.240 है0अ0क0, 11/0.013 है0 नहरी, 12-13/0.506 है0 नहरी, 14/0.102 है0 नहरी, 17/0.102 है0 नहरी, 21/0.246 है0 नहरी, 22/0.146 है0 नहरी = 2.937 है0 (1.822 है0 अनकमाण्ड व 1.115 है0 नहरी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के सात खातों में कुल 6.073 है0 खातेदारी कृषि भूमि, व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ पुत्र कुम्भाराम को चक 14 एस.टी.बी.बी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है0 (2.252 है0 बारानी, 0.075 है0 खाला व 1.468 है0 नहरी) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 11/0.228 है0 नहरी, 12/0.025 है0 नहरी, 19/0.164 है0 बारानी, 20/0.215 है0 बारानी = 0.632 है0 (0.379 है0 बारानी व 0.253 है0 नहरी) खातेदारी भूमि, चक 7 जे.के.एम. तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 80/80 में अंकित कुल 3.227 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 183/381 (8) के किला नं. 21/2 में 0.228 है0, 22/2 में 0.228 है0, 23/2 में 0.228 है0, 24/2 में 0.228 है0, 25/0.228 है0 = 1.140 है0 व पत्थर नं. 184/382 (12) के किला नं. 5-6/0.506 है0, 15-16/0.506 है0, 17/2 में 0.063 है0, 24-25/0.506 है0 = 1.581 है0, कुल 2.721 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता 11/1764 में अंकित पत्थर नं. 35/323 (61) के किला नं. 6 ता 10/1.265 है0, 11/0.139 है0, 12/0.190 है0, 13/0.228 है0, 14-15/0.506 है0, 16/0.076 है0, 17/0.025 है0 = 2.429 है0 नहरी खातेदारी भूमि में स्वयं प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ के नाम अंकित 1.188 है0 नहरी खातेदारी भूमि, व इसी चक 15 एस. टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित पत्थर नं. 34/328 (62) के किला नं. 1 ता 13/3.289 है0, 14/0.215 है0, 15/0.114 है0, 18/2 में 0.051 है0, 19/0.126 है0, 20/0.101 है0 = 3.896 है0 (0.506 है0 अनकमाण्ड व 3.390 है0 नहरी) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ व प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 के मृतक पति/पिता सोहनलाल पि. कुम्भाराम के नाम से अंकित ब.हि.ब. 1.948 है0, प्रतिवादी सं. 3 बहादुर वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.923 है0, व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.645 है0, यानि प्रतिवादीगण के नाम की कुल 3.516 है0 खातेदारी भूमि में से 0.873 है0 खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के चार खातों में कुल 5.414 है0

क्रमशः पेज 4 पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



खातेदारी कृषि भूमि, एवं प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 मीरादेवी पत्नी सोहनलाल, चन्द्रकला, कौशल्या, निर्मला, सुमन, रचना, पूनम, आत्माराम पिसरान सोहनलाल को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.228 है० खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० (1.482 है० अ.क.बा. व 0.100 है० गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.228 है० खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 69/1764 में अंकित कुल 1.999 है० (1.849 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 1/0.215 है० (0.190 है० नहरी 0.025 है० खाला), 2/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 3/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 4/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 5/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 6/0.152 है० नहरी = 1.379 है० (1.254 है० नहरी व 0.125 है० खाला) व पत्थर नं. 36/323 (60) के किला नं. 1/0.253 है० (0.228 है० नहरी 0.025 है० खाला), 2/0.025 है० नहरी, 10/0.190 है० नहरी, 13/0.038 है० नहरी, 14/0.089 है० नहरी = 0.595 है० (0.570 है० नहरी व 0.025 है० खाला), कुल 1.974 है० (1.824 है० नहरी व 0.150 है० खाला) खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 77/1764 में अंकित पत्थर नं. 38/323 (58) के किला नं. 1/0.013 है०, 2/0.038 है०, 3/0.089 है०, 4/0.126 है०, 5/0.177 है० = 0.443 है०, व पत्थर नं. 37/323 (59) के किला नं. 7/0.126 है०, 8/0.101 है०, 9/0.038 है०, 10/0.013 है० = 0.278 है०, कुल 0.721 है० नहरी खातेदारी भूमि, इसी चक 15 एस.टी.बी. की खाता सं. 13/1764 में इ.सं. 376/05.01.2013 व 428/05.02.2014 द्वारा अंकित 2.399 है० + 2.361 है० = 4.760 है० अनकमाण्ड व नहरी विशिष्ट खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/322 (56) के किला नं. 6/0.253 है० 0.400, 7/0.150 है० 0.400, 14/0.151 है० नहरी, 15-16/0.506 है० नहरी, 17/0.151 है० नहरी, 23/0.106 है० नहरी, 24-25/0.506 है० नहरी = 1.823 है० (0.403 है० अनकमाण्ड व 1.420 है० नहरी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार दोनों चकों के पांच खातों में कुल 4.974 है० खातेदारी कृषि भूमि, और प्रतिवादी सं. 3 भादरराम उर्फ बहादरराम पुत्र कुम्माराम को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है० (1.556 है० अ.क.बा. व 0.025 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.417 है० खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है० (1.482 है० अ.क.बा. व 0.100 है० गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.418 है० खातेदारी भूमि, चक 13 एस.टी.बी. 'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 की खाता सं. 29/30 में अंकित 2.581 है० (0.101 है० गै.मु.रास्ता, 2.430 है० नहरी, व 0.050 है० खाला) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 37/327 (27) के किला नं. 3/2 में 0.126 है० नहरी, 4/0.253 है० (0.215 है० नहरी व 0.038 है० गै.मु. रास्ता), 5/0.253 है० (0.190 है० नहरी, 0.025 है० खाला व 0.038 है० गै.मु. रास्ता), 6/1 में 0.127 है० (0.102 है० नहरी व 0.025 है० खाला), 7/0.253 है० नहरी, 14/0.253 है० नहरी, 17/0.253 है० नहरी, 24/1 में 0.127 है० नहरी = 1.645 है० (0.076 है० गै.मु.रास्ता, 1.519 है० नहरी व 0.050 है० खाला) खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. 'ए' की खाता सं. 39/32 में अंकित पत्थर नं. 37/327 (27) के किला नं. 2/0.253 है० (0.215 है० नहरी व 0.038

क्रमशः पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़



है0 गै.मु.रास्ता), 3/1 में 0.127 है0 (0.089 है0 नहरी व 0.038 है0 रास्ता), 8-9/0.506 है0, 12-13/0.506 है0, 18-19/0.506 है0, 22-23/0.506 है0, 24/2 में 0.126 है0 = 2.530 है0 (2.454 है0 नहरी व 0.076 है0 गै.मु. रास्ता) खातेदारी भूमि, चक 14 एस.टी.बी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है0 (2.252 है0 बारानी, 0.075 है0 खाला व 1.468 है0 नहरी) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 11/0.025 है0 नहरी, 12/0.228 है0 नहरी, 13-14/0.506 है0 नहरी, 17-18/0.506 है0 बारानी, 19/0.076 है0 बारानी = 1.341 है0 (0.759 है0 नहरी व 0.582 है0 बारानी) खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के पांच खातों में कुल 6.351 है0 खातेदारी कृषि भूमि, तथा प्रतिवादी सं. 4 रूघाराम पुत्र कुम्भाराम को चक 13 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता सं. 42/37 में अंकित कुल 1.581 है0 (1.556 है0 अ.क.बा. व 0.025 है0 गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.633 है0 खातेदारी भूमि, इसी चक 13 एस.टी.बी. की खाता सं. 73/69 में अंकित कुल 1.582 है0 (1.482 है0 अ.क.बा. व 0.100 है0 गै.मु.रास्ता) खातेदारी भूमि में से 0.632 है0 खातेदारी भूमि, चक 14 एस.टी.बी.'बी' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 7/9 में अंकित कुल 3.795 है0 (2.252 है0 बारानी, 0.075 है0 खाला व 1.468 है0 नहरी) खातेदारी भूमि में से पत्थर नं. 33/321 (24) के किला नं. 15/0.253 है0 (0.228 है0 नहरी व 0.025 है0 खाला), 16/0.253 है0 (0.228 है0 नहरी व 0.025 है0 खाला), 19/0.013 है0 बारानी, 20/0.038 है0 बारानी, 21 ता 24/1.012 है0 बारानी, 25/0.253 है0 (0.228 है0 बारानी व 0.025 है0 खाला) = 1.822 है0 (0.456 है0 नहरी, 0.075 है0 खाला व 1.291 है0 बारानी) खातेदारी भूमि, चक 15 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की संयुक्त खाता सं. 10/1764 में अंकित पत्थर नं. 34/328 (62) के किला नं. 1 ता 13/3.289 है0, 14/0.215 है0, 15/0.114 है0, 18/2 में 0.051 है0, 19/0.126 है0, 20/0.101 है0 = 3.896 है0 (0.506 है0 अनकमाण्ड व 3.390 है0 नहरी) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ व प्रतिवादीगण सं. 2/1 ता 2/8 के मृतक पति/पिता सोहनलाल पि. कुम्भाराम के नाम से अंकित ब.हि.ब. 1.948 है0, प्रतिवादी सं. 3 बहादुर वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.923 है0, व प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ वल्द कुम्भाराम के नाम से अंकित 0.645 है0, यानि प्रतिवादीगण के नाम की कुल 3.516 है0 खातेदारी भूमि में से 2.643 है0 खातेदारी भूमि, इस प्रकार तीनों चकों के चार खातों में कुल 5.730 है0 खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ एवं रायसिंहनगर को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में उपरोक्तानुसार खातेदारी कृषि भूमि पूर्व अंकित भूमि हेतु पूर्व अंकित काश्तकार के नाम से कलमजन कर घोषणा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से अलग-अलग अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो उसके नाम अंकित खाते पर रहन अंकित रहेगी।

नोजx..... मुबलिंगx..... बाबतx..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरहx..... फसदों की पालनाx.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.11.2019 को जारी की गई।

उपसहायक जमींदारी
एवं उपसूचना अधिकारी
सूरतगढ़

